भारतीय रिज़र्व बैंक

निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के "ऑन टैप" लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश

1 अगस्त, 2016

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 22 फरवरी 2013 को निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। रिज़र्व बैंक ने दो आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी जारी की और इसके बाद से उन्होंने प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार बैंकों की स्थापना की है।

नरसिम्हम समिति, रघुराम जी राजन समिति की सिफारिशों और अन्य दृष्टिकोणों के अनुरूप भारत में बैंकिंग ढांचे पर एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2013 को *'Banking Structure in India – The Way Forward'* पर एक नीति चर्चा पत्र प्रस्तुत किया। गुण-दोष की गहन जांच करने पर चर्चा पत्र ने वर्तमान स्टॉप एंड गो लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करने और इस आधार पर सतत प्राधिकार नीति पर विचार करने के लिए एक मामला बनाया कि ऐसी नीति प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाएगी और प्रणाली में नए विचार लाएगी। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ निरंतर प्राधिकार के प्रस्ताव का मोटे तौर पर समर्थन किया । इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2014 को घोषित पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात के संकेत दिए गए कि नए लाइसेंसों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के बाद, रिजर्व बैंक 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के साथ-साथ विभेदनकारी बैंक लाइसेंस के लिए ढांचे पर, चर्चा पत्र में नए आयाम जोड़ने और हाल ही के लाइसेंसिंग प्रक्रिया से अर्जित सीख का प्रयोग करने पर काम करना शुरू कर देगा।

2014 में दो यूनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस देने और लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के अनुभव के आधार पर, रिजर्व बैंक ने टिप्पणियों के लिए 5 मई, 2016 को अपनी वेबसाइट पर 'निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए मसौदा-दिशानिर्देश' जारी किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राप्त टिप्पणियों/ सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की और यूनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए निरंतर आधार पर नए ढांचे को अंतिम रूप दिया। तदनुसार, दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित सेट निर्धारित किए गए हैं।

2. दिशानिर्देश

(ए) योग्य प्रमोटर

ए) वरिष्ठ पदों पर बैंकिंग और वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति/ व्यावसायिक जो निवासी हैं; [जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित फेमा विनियमों में परिभाषित किया गया है] बैंकों को अकेले या संयुक्त रूप से प्रवर्तन करने के लिए पात्र होंगे ।

बी) निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं/ समूह जो 'निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित' हैं [जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित फेमा विनियमों में परिभाषित किया गया है] और कम से कम 10 वर्षों के लिए इनका सफल ट्रैक रिकॉर्ड है, बशर्ते कि यदि ऐसी संस्था/समूह के पास 50 बिलियन या उससे अधिक की कुल आस्ति है, समूह का गैर-वित्तीय व्यवसाय कुल आस्तियों/ सकल आस्तियों की 40 प्रतिशत या उससे अधिक की नहीं है।

सी) मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), जो 'निवासियों द्वारा नियंत्रित' हैं [जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित फेमा विनियमों में परिभाषित किया गया है], और जिनके पास कम से कम 10 वर्षों के एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है, वे बैंक में परिवर्तित होने या नए बैंक को प्रवर्तित करने के लिए पात्र होंगे। स्पष्टता के लिए, यहां यह जोड़ा गया है कि कोई भी एनबीएफसी, जो उस समूह का हिस्सा है, जिसके पास 50 बिलियन रुपये या उससे अधिक की कुल आस्ति है और समूह का गैर-वित्तीय व्यवसाय कुल आस्तियों/ सकल आय के 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो वह पात्र नहीं है। यदि किसी बैंक में प्रवर्तित/ परिवर्तित करने के लिए पात्र माना जाता है, तो उन्हें इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं के साथ-साथ नीचे पैराग्राफ 2 (जे) में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(बी) 'उपयुक्त और उचित' मानदंड

बैंकों को प्रमोट करने के पात्र होने के लिए प्रमोटरों/ प्रमोटर समूहों[1] को 'उपयुक्त और उचित' होना चाहिए। आरबीआई निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आवेदकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करेगा:

(i) जहां प्रमोटर व्यक्ति हैं

क) प्रत्येक प्रमोटर के पास वरिष्ठ स्तर पर बैंकिंग और वित्त में न्यूनतम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।

ख) प्रमोटरों के पास सुदृढ़ क्रिडेन्शल और निष्ठा का पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए।

ग) प्रमोटरों को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और कम से कम 10 साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

(ii) जहां प्रमोटर संस्थाएं/ एनबीएफसी हैं

क) प्रमोट करने वाली संस्था/प्रमोटर समूह को अपने व्यवसायों को चलाने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख) प्रमोट करने वाली संस्था और प्रमोटर समूह के पास सुदृढ़ साख और निष्ठा का पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए।

[1] प्रमोटर/ प्रमोटर समूह की परिभाषा परिशिष्ट I में दिया गया है।

ग) प्रमोट करने वाली संस्था और प्रमोटर समूह को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

घ) विविध शेयरहोल्डिंग वाली संस्थाओं को प्रमोट करने हेतु वरीयता दी जाएगी।

(सी) कॉरपोरेट संरचना

I. एनओएफ़एचसी रहित संरचना

क) प्रमोटरों के व्यक्ति होने या ऐसी स्टैंडअलोन प्रमोटिंग/परिवर्तनकारी संस्था होने की स्थिति में, जो/ जिनके पास अन्य समूह संस्थाएं नहीं हैं, गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएसी) की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और ऐसे प्रमोटरों के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी स्थापित/में परिवर्तित करने का विकल्प होगा। हालांकि, यदि बैंक की स्थापना के बाद अन्य समूह संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव है, तो बैंक को एनओएफ़एचसी संरचना में जाना चाहिए।

ख) यदि प्रस्ताव किसी बैंक को स्थापित/में परिवर्तित करने के लिए है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक में आवेदन की तिथि से प्रमोटिंग/परिवर्तित इकाई के शेयरहोल्डिंग में ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई शेयरधारक प्रमोटिंग/परिवर्तित इकाई की वोटिंग इक्विटी पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक का अधिग्रहण या हस्तांतरण करता है।

II. एनओएफ़एचसी सहित संरचना

यदि व्यक्तिगत प्रमोटर/ प्रमोटिंग संस्थाओं/ परिवर्तनकारी संस्थाओं के पास अन्य समूह संस्थाएं हैं, तो बैंक की स्थापना केवल एनओएफएचसी के माध्यम से की जाएगी। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

संरचना और गतिविधियां

क) एनओएफएचसी को आरबीआई में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

ख) एनओएफएचसी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत प्रमोटर/प्रमोटर समूह के स्वामित्व में होगा।

ग) एनओएफएचसी बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं का धारण करेगी। इसका उद्देश्य यह है कि होल्डिंग कंपनी को समूह की अन्य गतिविधियों अर्थात वाणिज्यिक और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा अविनियमित वित्तीय गतिविधियों से बैंक सहित समूह की विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं को रिंग फेंस करनी होगी और यह भी कि बैंक को समूह की अन्य विनियमित वित्तीय गतिविधियों से रिंग फेंस करनी होगी।

घ) केवल महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण[2] रखने वाले व्यक्तिगत प्रमोटर/प्रमोटरों/समूह वाली विनियमित वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को एनओएफएचसी के अंतर्गत धारित किया जाएगा।

ङ) जिन वित्तीय सेवा संस्थाओं के शेयर एनओएफएचसी द्वारा धारित होते हैं, वे एनओएफएचसी के शेयरधारक नहीं हो सकते।

च) बैंक की स्थापना के अतिरिक्त, एनओएफएचसी को एनओएफ़एचसी के व्यवसाय शुरू होने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों के लिए किसी भी नई वित्तीय सेवा इकाई की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह बैंक को एक सहायक या संयुक्त उद्यम या सहयोगी होने से नहीं रोक पाएगा, जहां इसे विधिक रूप से आवश्यक या विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है।

छ) समूह में गतिविधियों के पुनर्गठन के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (ए) से (ओ) के अंतर्गत किसी बैंक को अनुमत सभी गतिविधियां बैंक से की जाएंगी। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक यह अनिवार्य बनाता है कि बीमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आदि जैसी कुछ विशेष गतिविधियों का संचालन एक अलग सहायक/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्था के माध्यम से आयोजित किए जाएं;

(ii) क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक डीलर, पट्टे, किराया खरीद, फैक्टरिंग, आदि, जैसी कुछ गतिविधियों का संचालन कोई बैंक या तो बैंक के भीतर से या एक अलग बाहरी संस्था (सहायक/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी) के माध्यम से संचालित कर सकते हैं।

तदनुसार, उपर्युक्त (i) पर की जाने वाली गतिविधियां और बैंक के बाहर किए जाने वाले/प्रस्तावित (ii) पर की जाने वाली गतिविधियों को एनओएफएचसी के अंतर्गत अलग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

हालांकि, यदि प्रमोटर एनओएफएचसी के अंतर्गत आयोजित होने वाली किसी अलग संस्था के माध्यम से मौजूदा विशेष गतिविधियों को जारी रखने की इच्छा रखते हैं, तो आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि बैंक के माध्यम से इसी प्रकार की गतिविधियां संचालित न हों।

इसके अलावा, बैंक को जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं हैं, उनके लिए समूह को भी अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात एनओएफएचसी के अंतर्गत संस्थाओं को उन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनमें बैंक को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

शेयरहोल्डिंग

ज) प्रमोटर/प्रमोटर समूह द्वारा स्थापित एनओएफएचसी की पूंजीगत संरचना इस प्रकार होगी:

[2] एएस 21 और एएस 23 के तहत परिभाषित अनुसार

(i) एनओएफएचसी में प्रमोटर/प्रमोटर समूह की शेयरहोल्डिंग केवल व्यक्तियों, गैर-वित्तीय सेवा संस्थाओं और समूह में मूल निवेश कंपनियों/निवेश कंपनियों के माध्यम से होगी। इसके फलस्वरूप, ऊपर निर्दिष्ट किए लोगों/संस्थाओं के अतिरिक्त प्रमोटर समूह में कोई वित्तीय सेवा इकाई, एनओएफ़एचसी में शेयरधारक होने के लिए पात्र नहीं होगी।

(ii) प्रमोटर समूह का हिस्सा बनाने वाले प्रमोटर/ प्रमोटरों/ कंपनियों द्वारा एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा धारित करना होगा। यदि शेयरहोल्डिंग प्रमोटर समूह की कंपनियों द्वारा है, तो ऐसी कंपनियों के पास अधिमानतः विविध शेयरहोल्डिंग होगी।

(iii) यदि एनओएफएचसी में प्रमोटर समूह की शेयरहोल्डिंग का 51 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा प्रमोटर समूह से संबंधित व्यक्तियों द्वारा धारित किया जाता है, तो रिस्तेदारों [जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत] सहित और उन संस्थाओं के साथ, जिनमें वह और/या उनके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक धारिता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शेयरहोल्डिंग एनओएफएचसी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) एनओएफएचसी के कुल वोटिंग इक्विटी शेयरों का अधिकतम 49 प्रतिशत हिस्सा ही गैर-प्रमोटरों के पास होगा। तथापि, किसी गैर-प्रमोटर व्यक्ति द्वारा उसके रिस्तेदारों [जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत] सहित और उन संस्थाओं के साथ, जिनमें वह और/या उनके रिश्तेदारों के पास वोटिंग इक्विटी शेयरों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक धारिता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शेयरहोल्डिंग एनओएफएचसी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(v) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक का एनओएफएचसी में महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण[3] नहीं होगा।

झ) एनओएफएचसी के भीतर शेयरधहोल्डिंग में ऐसा कोई भी परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप कोई शेयरधारक एनओएफएचसी की कुल इक्विटी पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक हिस्से का हस्तांतरण/ प्रापण करता है, तो सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से आरबीआई का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।

ञ) प्रमोटर समूह से जुड़े प्रमोटर/ प्रमोटर समूह की संस्थाएं/ व्यक्ति बैंक और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं में केवल एनओएफएचसी के माध्यम से समूह में इक्विटी निवेश करेंगे।

[3] एएस 21 और एएस 23 के तहत परिभाषित अनुसार

समेकित पर्यवेक्षण

ट) भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि कारपोरेट ढांचे में एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय सेवा संस्थाओं को रिंग बाड़ लगाने से बाधा उत्पन्न नहीं होगी, कि वह समेकित आधार पर बैंक, एनओएफएचसी और उसकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाओं की निगरानी करने में सक्षम होगा और यह कि वह इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सभी आवश्यक जानकारी को सुचारू रूप से और तत्परता से प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि, एनओएफएचसी द्वारा धारित संस्थाओं का पर्यवेक्षण एकल आधार पर संबंधित क्षेत्र के नियामकों द्वारा किया जाएगा।

(डी) बैंक में न्यूनतम वोटिंग इक्विटी पूंजी आवश्यकताएं और शेयरहोल्डिंग का पैटर्न

I. न्यूनतम पूंजी और अन्य आवश्यकताएं

ए) किसी बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम चुकता-वोटिंग इक्विटी पूंजी 'पांच बिलियन' होगी। इसके पश्चात, बैंक की न्यूनतम निवल मालियत हमेशा पांच बिलियन रुपये होगी।

बी) एनबीएफसी को बैंकों में बदलने के मामलों में, परिवर्तित इकाई और उसके पश्चात बैंक का न्यूनतम निवल मालियत हमेशा पांच बिलियन रुपये होगा।

सी) बैंक को समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी उच्च प्रतिशत के अधीन अपने परिचालन शुरू होने के बाद न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए अपनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 13 प्रतिशत के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखना होगा। एनओएफएचसी इकाई पर लागू बेसल मानदंडों के अनुसार समेकित आधार पर पूंजी पर्याप्तता बनाए रखेगा।

डी) बैंक द्वारा व्यवसाय शुरू होने के छह साल के भीतर अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना होगा।

ई) एनओएफएचसी द्वारा धारित विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं संबंधित क्षेत्र के नियामकों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

II. शेयरहोल्डिंग का पैटर्न

ए) प्रमोटर/ प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/ एनओएचएचसी, मामले के अनुसार, बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 400 प्रतिशत हिस्सा रखेगा, जिसे बैंक के व्यवसाय शुरू होने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए लॉक-इन किया जाएगा।

बी) प्रमोटर/ प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/ एनओएचएचसी द्वारा बैंक में शेयरहोल्डिंग कुल चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी को बैंक के कारोबार शुरू होने की तिथि से पांच साल के भीतर 40 फीसदी तक लाया जाएगा।

सी) बैंक द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तिथि से पहले पांच वर्षों के दौरान और अधिक वोटिंग इक्विटी पूंजी जुटाने की स्थिति में, प्रमोटर/ प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/ एनओएचएचसी को बैंक के व्यवसाय

शुरू होने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए बैंक की बढ़ी हुई वोटिंग इक्विटी पूंजी का 40 प्रतिशत रखना जारी रखना होगा।

डी) प्रमोटर/प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/एनओएचएचसी द्वारा शेयरहोल्डिंग को बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी को बैंक के व्यवसाय शुरू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के भीतर 30 प्रतिशत और 15 वर्ष की अवधि के भीतर बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 15 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

ई) प्रमोटर/प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/एनओएचएचसी द्वारा होल्डिंग के अतिरिक्त वोटिंग इक्विटी पूंजी को पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, प्रमोटर/प्रमोटरों और प्रमोटर समूह/एनओएचएचसी को छोड़कर, किसी भी एकल इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह के पास बैंक के परिचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डिंग या नियंत्रण नहीं होगा।

एफ़) बड़े औद्योगिक घरानों[4] से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों को निजी क्षेत्र के नए बैंक की इक्विटी में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दी जा सकती है और उनका बैंक में नियंत्रण[5] हित नहीं होगा। ऐसे शेयरधारकों के पास शेयरधारक समझौतों या अन्यथा के कारण बैंक के बोर्ड में कोई निदेशक नहीं होगा। 10 प्रतिशत की सीमा सकल आधार पर संबंधित बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित व्यक्तियों और सभी अंतर-संबद्ध कंपनियों पर लागू होगी।

(ई) नियामकीय ढांचा

बैंक का संचालन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, निक्षेप बीमा एवं ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961, पब्लिक इश्यू और सूचीबद्ध बैंकिंग कंपनियों के संबंध में सेबी के लागू विनियमों सहित आरबीआई तथा अन्य नियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य संबंधित संविधियों एवं निर्देशों, विवेकपूर्ण विनियमों एवं दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(एफ़) बैंक में विदेशी शेयरहोल्डिंग

बैंक में विदेशी शेयरहोल्डिंग मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार होगी, जो ऊपर पैराग्राफ डी (II) के अधीन होगी।

(जी) कॉर्पोरेट अभिशासन, विवेकपूर्ण और एक्सपोजर मानदंड

I. एनओएफएचसी के बिना एकल (स्टैंड अलोन) बैंक के लिए

[4] इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से, एक समूह जिसकी आस्ति 50 बिलियन या उससे अधिक और ग्रूप के गैर वित्तीय कारोबार समूह के कुल परिसंपत्तियों/सकल आय के संदर्भ में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस समूह को एक बड़े औद्योगिक घराने के रूप में माना जाएगा। (इस बात पर ध्यान दें कि कंपनियां, प्रमोटर या निवेशक के रूप में, किसी बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित हैं या किसी बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी कंपनी से संबंधित हैं, इस संदर्भ में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा)

[5] नियंत्रक हित से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित अनुसार नियंत्रण से संबंधित अधिकार से है।

i. कॉर्पोरेट अभिशासन और विवेकपूर्ण मानदंड

ए) बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

बी) बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा जिसमें 'उचित और उपयुक्त' मानदंड, नामांकन समिति, पारिश्रमिक समिति, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड, निवेश का मूल्यांकन, चलनिधि प्रबंधन आदि शामिल हैं।

ii. एक्सपोजर मानदंड

ए) बैंक के निदेशकों और उन कंपनियों जिनमें इसके निदेशकों के हित हैं, को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के तहत ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध के अलावा बैंक को अपने प्रमोटरों, प्रमुख शेयरधारकों जिनके पास बैंक में प्रदत्त इक्विटी शेयरों की 10 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता है, प्रमोटरों के रिश्तेदार [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा पारिभाषित और इसके अधीन बनाए गए नियम] और साथ-साथ उन संस्थाओं, जिनमें उनका महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है (लेखांकन मानक एएस 21 और एएस 23 के तहत यथा परिभाषित) के प्रति एक्सपोजर (इक्विटी/ऋण पूंजी लिखत में निवेश सहित) की मनाही है।
बी) बैंक अन्य एनओएफएचसी की इक्विटी में निवेश नहीं कर सकता।

सी) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों के इक्विटी/ ऋण पूंजी लिखत में और अन्य एनओएफएचएसी के ऋण पूंजी लिखत में बैंक के निवेश मौजूदा क्रॉस होल्डिंग मानदंडों द्वारा निर्देशित होने चाहिए।

डी) बैंक का अनुमतिप्राप्त एक्सपोजर मौजूदा एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार होगा।

II. एनओएफएचसी सहित बैंक के लिए

यदि समूह की संरचना में एनओएफएचसी के निर्माण की परिकल्पना की गई है, तो एनओएफएचसी को एकल और समेकित आधार पर कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों, विवेकपूर्ण मानदंडों और एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए जैसा कि दिनांक 22 फरवरी 2013 के निजी क्षेत्र में नए बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देशों के पैरा 2 (जी), (एच) और (आई) में बताया गया है। एनओएफएचसी द्वारा धारित वित्तीय संस्थाएं संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्धारित लागू संविधियों और विनियमों द्वारा अभिशासित होंगी।

(एच) बैंक की कारोबार योजना

ए) नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों को अपने आवेदन के साथ बैंक के लिए कारोबार योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
बी) आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना वास्तविक और व्यवहार्य होनी चाहिए। लाइसेंस जारी करने के बाद निर्धारित कारोबार योजना से विचलन के मामले में, आरबीआई बैंक के विस्तार को प्रतिबंधित करने, प्रबंधन में परिवर्तन करने और अन्य दंडात्मक उपाय, जैसा आवश्यक हो, करने पर विचार कर सकता है।

सी) कारोबार योजना में उल्लिखित होना चाहिए कि बैंक के पास वित्तीय समावेशन करने के लिए क्या प्रस्ताव है। कारोबार योजना में अनुबंध II में दर्शाए गए विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए परियोजना रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।

(I) बैंकों के लिए अन्य शर्तें

ए) बैंक को सदैव "निवासियों द्वारा नियंत्रित" (फेमा, 1999 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार) होना चाहिए।

बी) बैंक के बोर्ड की संरचना में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन होना चाहिए। बैंक के बोर्ड में अधिकांश स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए[6]।

सी) शेयरों/ अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड/ मताधिकार का कोई भी अधिग्रहण जिससे किसी व्यक्ति/ संस्था/समूह की कुल धारिता बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी या कुल मताधिकार के पांच प्रतिशत या उससे अधिक पर आ जाएगी, उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

डी) बैंक प्रमोटर/प्रमोटर समूह संस्थाओं और इन संस्थाओं के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों[7] के साथ उचित दूरी के संबंध बनाए रखेगा ।

ई) इस बात पर विचार करने में कि क्या कोई संस्था, प्रमोटर या प्रमोटर संस्थाओं से संबंधित/ जुड़ी है, आरबीआई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, लेखांकन मानकों और अन्य संबंधित कारकों द्वारा निर्देशित होगा। इस मामले में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

एफ़) बैंक घरेलू बैंकों पर लागू मौजूदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों का अनुपालन करेगा। इस उद्देश्य के लिए, बैंक को परिचालन शुरू करते ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए।

जी) बैंक कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में खोलेगा ताकि महानगरीय क्षेत्रों और शहरों में शाखाओं के संकेन्द्रण से बचा जा सके, जिनके पास पहले से ही पर्याप्त बैंकिंग उपस्थिति है। आरबीआई समयानुसार बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी के प्रकारों को परिभाषित करेगा जो ग्रामीण उपस्थिति के रूप में पात्र हों।

एच) बैंक को शुरू से ही आधुनिक आधारभूत सुविधाओं सहित और पूर्णतः नेटवर्क में और टेक्नोलॉजी चालित होना चाहिए।

आई) बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए एक उच्च स्तरीय ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष होना चाहिए।

जे) आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन लाइसेंस प्रदान करने की एक अनिवार्य शर्त है। किसी भी गैर-अनुपालन से बैंक के लाइसेंस को रद्द करने सहित दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

---

[6] स्वतंत्र निदेशक - कंपनी अधिनियम, 2013 में पारिभाषित किए गए अनुसार होगा।

[7] प्रमोटर समूह के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों का अर्थ होगा कि जिनके साथ वार्षिक खरीद या बिक्री या दोनों मिलाकर उसके 10 प्रतिशत या अधिक का संव्यवहार होगा।

के) कड़े विवेकपूर्ण मानदंडों, पारदर्शिता, प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर बल दिए जाने को देखते हुए बैंकों को अत्यधिक प्रतियोगी माहौल में लाभप्रद कार्य करने के लिए दृढ़ता और दक्षता की आवश्यकता है।

एल) बैंकिंग के एक अत्यधिक लीवरेज युक्त व्यवसाय होने के कारण अत्यंत चयिनत आधार पर उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए, जिनका एक त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड है और जिनके ग्राहक सेवा और दक्षता के सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मानकों के अनुरूप होने की संभावना है, उन्हें ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अतः आरबीआई के लिए उपर्युक्त निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को लाइसेंस जारी करना संभव नहीं हो सकता है।

(जे) एनबीएफ़सी द्वारा बैंक को प्रमोट करने/ में परिवर्तित होने के लिए अतिरिक्त शर्तें

क) मौजूदा एनबीएफसी वाले प्रमोटर/प्रमोटर समूह (जो 'निवासियों द्वारा नियंत्रित' है [समय-समय पर यथा संशोधित फेमा विनियमों में परिभाषित किए गए अनुसार]), यदि बैंक लाइसेंस के लिए पात्र माने जाते हैं, तो उनके पास दो विकल्प होंगे:

(i) किसी बैंक को प्रमोट करना, या

(ii) एनबीएफसी से बैंक में परिवर्तित होना।

ख) दोनों विकल्पों के तहत, एनओएफएचसी/बैंक या दोनों, जो भी मामला हो, दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

ग) साथ ही, दोनों विकल्पों के तहत, प्रमोटरों को एनओएफएचसी बनाना होगा, यदि उनके समूह में अन्य संस्थाएं हैं। एनओएफएचसी और इसके तहत स्थापित बैंक को दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए।

घ) यदि मौजूदा संस्थाओं ने विनियामकीय आवश्यकताओं या अन्यथा के कारण प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को 40 प्रतिशत से कम कर दिया है, लेकिन 26 प्रतिशत से अधिक है, तो आरबीआई प्रमोटरों के न्यूनतम प्रारंभिक योगदान पर जोर नहीं देगा जैसा कि दिशा-निर्देशों के पैरा 2 (डी) (II) में इंगित किया गया है और पांच साल की लॉक-इन अवधि 26 प्रतिशत प्रमोटर शेयरहोल्डिंग पर लागू होगी।

ङ) आरबीआई, पूर्व अनुमोदन के साथ बैंक में परिवर्तित होने वाले एनबीएफसी की मौजूदा शाखाओं को बनाए रखने की अनुमति देने पर विचार करेगा, जो शाखा प्राधिकरण पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने/अनुपालन के अधीन होगी।

3. आवेदन की प्रक्रिया

ए) बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 के नियम 11 के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्म (फार्म III) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही आवेदक अनुबंध II के अनुसार अपेक्षित सूचना देंगे। अपेक्षित सूचना के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बी)निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन, उपर्युक्त अन्य विवरणों के साथ, निम्नलिखित पते पर पहुंचना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक,
बैंकिंग विनियमन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय,
13वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई-400001

सी) लाइसेंसिंग विंडो मांग-पर खोली जाएगी। अतः, आवेदक द्वारा अपेक्षित जानकारी के साथ, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किसी भी समय आरबीआई को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

4. आरबीआई के निर्णय की प्रक्रिया

ए) पहले चरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों की तुलना में आवेदकों की पात्रता का आकलन करने के लिए आवेदनों की जांच की जाएगी । पैरा 2 (बी) में निर्धारित 'उचित और उपयुक्त' मानदंडों के अलावा आवेदनों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आरबीआई अतिरिक्त मानदंड लागू कर सकता है। इसके बाद आवेदनों को आरबीआई द्वारा गठित की जाने वाली स्थायी बाहरी परामर्शदात्री समिति (एसईएसी) के पास भेजा जाएगा।

बी) एसईएसी में बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। एसईएसी के गठन की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी ।

सी) एसईएसी आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए अपनी प्रक्रियाएं बनाएगी। एसईएसी आवश्यकतानुसार समय-समय पर बैठक करेगी। समिति अधिक सूचना मांगने के साथ-साथ किसी भी आवेदक/कों के साथ विचार-विमर्श करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगेगी, जैसा भी उसके लिए आवश्यक हो। यह समिति अपनी सिफारिशों को विचार के लिए आरबीआई को सौंपेगी।

डी) गवर्नर और उप गवर्नरों की आंतरिक स्क्रीनिंग समिति (आईएससी) सभी आवेदनों की जांच करेगी । आईएससी, सीईसी द्वारा की गई सिफारिशों के औचित्य पर भी विचार करेगी और फिर सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के अंतिम निर्णय के लिए आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड समिति(सीसीबी) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

ई) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता, सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने की तिथि से अठारह माह तक की होगी और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। अतः बैंक को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्ति के 18 माह के भीतर लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

एफ़) बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के बाद, यदि बाद में प्रमोटरों या उन कंपनियों/संस्थाओं के संबंध में कोई प्रतिकूल बात देखी जाती हैं जिनके साथ प्रमोटर जुड़े हैं और जिस समूह में उनका हित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है और यदि आवश्यकता हो तो सैद्धांतिक अनुमोदन वापस ले सकता है।

जी) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों के नाम समय-समय पर आरबीआई की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदकों के नाम भी आरबीआई की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

एच) लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए आवेदक को रिजर्व बैंक के निर्णय की सूचना दी जाएगी । ऐसे आवेदक उस निर्णय की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

आई) केंद्रीय बोर्ड समिति के निर्णय से असहमत आवेदक, उपर्युक्त पैरा 4 (ज) के अनुसार उपायुक्त न पाए गए आवेदन से संबंधित आरबीआई की सूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय निदेशक मंडल के पास अपील कर सकते हैं।

अनुबंध I

परिभाषा

I. **प्रमोटर**

प्रमोटर का अर्थ है, वह व्यक्ति, जो अपने रिश्तेदारों के साथ [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथापारिभाषित] वोटिंग इक्विटी शेयरों के स्वामित्व के आधार पर, बैंक/एनओएफएचसी पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति में है, और इसमें, जहां भी लागू हो, वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं।

II. **प्रमोटिंग संस्था**

प्रमोटिंग संस्था का अर्थ है वह संस्था जो बैंक को प्रमोट करते हैं।

III. **प्रमोटर समूह**

"प्रमोटर समूह" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) प्रमोटर;

(ii) प्रमोटर के रिश्तेदार [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथापारिभाषित]; और

(iii) यदि प्रमोटर एक कॉर्पोरेट निकाय है:

(क) ऐसे कारपोरेट निकाय की अनुषंगी या होल्डिंग कंपनी;

(ख) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें प्रमोटर दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारित करता है या जो प्रमोटर की दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है;

(ग) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें व्यक्तियों या कंपनियों का कोई समूह या संयोजन जो उस कारपोरेट निकाय में बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारित करता है और प्रमोटर की बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी भी धारित करती है ;

(घ) प्रमोटर के साथ संयुक्त उद्यम (एएस 23 के संदर्भ में यथापारिभाषित);

(ङ) प्रमोटर के सहयोगी (एएस 27 के संदर्भ में यथापारिभाषित) ;

(च) प्रमोटर से संबंधित पार्टी (एएस 18 के संदर्भ में यथापारिभाषित); और

(iv) यदि प्रमोटर व्यक्ति है:

क) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी प्रमोटर या प्रमोटर के रिश्तेदार या किसी फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार, जिसमें प्रमोटर या उसके एक अथवा एकाधिक नजदीकी रिश्तेदार द्वारा धारित की जाती है;

ख) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें उपर्युक्त (क) में प्रावधित कारपोरेट निकाय दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है;

ग) हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म जिसमें प्रमोटर और उसके नजदीकी रिश्तेदारों की कुल शेयरधारिता कुल के दस प्रतिशत या उससे अधिक है;

(v) बैंक/ समूह कंपनियों के बहिर्नियम में प्रमोटर घोषित किए गए सभी व्यक्ति।

(vi) वे सभी व्यक्तियों, जिनकी शेयरहोल्डिंग "प्रमोटर समूह की शेयरहोल्डिंग" शीर्षक के तहत प्रॉस्पेक्टस[8] में प्रकट करने के उद्देश्य से समेकित की जाती है;

(vii) ए, बी, सी, डी ई, एफ में उल्लिखित संस्थाओं के साथ एक सामान्य ब्रांड नाम साझा करने वाली संस्थाएं जहां प्रमोटर एक कारपोरेट निकाय है और ए, बी, सी जहां प्रमोटर एक व्यक्ति है;

बशर्ते कि किसी वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक या म्यूचुअल फंड को केवल इस तथ्य के आधार पर प्रमोटर समूह नहीं माना जाएगा कि प्रमोटर की दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी ऐसी संस्था द्वारा धारित जाती है जब तक कि ऐसा निवेश कार्यनीतिक प्रकृति का न हो।

[8] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता जारी करना) अधिनियम, 2009 के अनुसार

अनुलग्नक II

प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमोटरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

I. मौजूदा ढांचा

1. समूह के व्यक्तिगत प्रमोटरों की जानकारी :

ए. अनुबंध I के अनुसार व्यक्तिगत प्रमोटरों द्वारा स्व-घोषणा।

बी. व्यक्तिगत प्रमोटरों की पृष्ठभूमि और अनुभव पर विस्तृत प्रोफाइल, उनकी विशेषज्ञता, कारोबार का रिकॉर्ड।

2. प्रमोटरों के समूह में संस्थाओं की जानकारी :

ए. अनुबंध II के अनुसार प्रवर्तक समूह में अन्य संस्थाओं के नाम और विवरण (यदि अनुबंध I में शामिल नहीं हैं)।

बी. प्रमोटर समूह में सभी संस्थाओं के शेयरहोल्डिंग पैटर्न।

सी. समूह में सभी संस्थाओं की कॉर्पोरेट संरचना को दर्शाने वाला एक चित्रात्मक प्रस्तुति जो कि संस्थाओं की हिस्सेदारी और कुल संपत्ति को दर्शाता है।

डी. सभी समूह संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट.

3. प्रवर्तित/ अंतरित संस्था की जानकारी:

ए. प्रवर्तित/ अंतरित संस्था द्वारा अनुबंध III के अनुसार घोषणा

बी. प्रवर्तित/ अंतरित संस्था का शेयरहोल्डिंग पैटर्न

सी. ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम और पिछले पांच वर्षों के लिए प्रवर्तित संस्था के वित्तीय विवरण (उक्त वर्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों का सारणीकरण सहित), बोर्ड की रचना और दस वर्षों की अवधि में निदेशकों का प्रतिनिधित्व, पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न संस्था, प्रवर्तित/ अंतरित संस्थाओं के लिए धन के स्रोत को दर्शाते हुए सीए का प्रमाणपत्र।

II. प्रस्तावित ढांचा

1. आवेदक को उन व्यक्तियों/ संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, जो प्रस्तावित बैंक की 5 प्रतिशत या अधिक की इक्विटी पूंजी (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) की सदस्यता लेंगे, जिसमें प्रस्तावित बैंक में विदेशी इक्विटी भागीदारी और प्रस्तावित निवेशकों की पूंजी के स्रोत भी शामिल है। ।
2. प्रस्तावित प्रमोटर शेयरहोल्डिंग और दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रमोटर शेयरहोल्डिंग में कमी करने की योजना।
3. यदि अंतिम रूप दिया गया तो बैंक का प्रस्तावित प्रबंधन।

III. परियोजना रिपोर्ट

एक परियोजना रिपोर्ट[9] जो कि प्रस्तावित बैंक की व्यावसायिक क्षमता और व्यवहार्यता, प्रस्तावित किसी भी अन्य वित्तीय सेवाओं की पेशकश, सीआरआर/ एसएलआर[10] पर विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण पोर्टफोलियो की संरचना, प्राथमिकता क्षेत्र आदि के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश या अन्य जानकारी जो वे प्रासंगिक मानते हैं, को कवर करती हो। जमीनी स्तर की पर्याप्त जानकारी के आधार पर परियोजना रिपोर्ट में अधिक से अधिक ठोस विवरण दिए जाने चाहिए, अवास्तविक या अवांछित महत्वाकांक्षी अनुमानों से बचें। व्यवसाय योजना को यह पता होना चाहिए कि बैंक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने का प्रस्ताव कैसे करता है और एनबीएफसी आवेदक के मामले में, मौजूदा उधार व्यवसाय से कैसे बैंक में परिवर्तित होगा या निर्निहित/ निपटारा करेगा।

IV अन्य कोई सूचना

प्रमोटर आवेदन पत्रों का समर्थन करने वाले किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, आरबीआई किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी के लिए नियत समय में, जैसा कि आवश्यक हो, मांग सकते हैं।

****

[9] व्यावसायिक योजना में, अन्य बातों के साथ, (लेकिन सीमित नहीं), अंतर्निहित मान्यताओं, मौजूदा बुनियादी ढांचे/ नेटवर्क/ शाखाओं, और प्रस्तावित उत्पाद लाइनों, लक्ष्य ग्राहकों, लक्ष्य स्थानों, प्रौद्योगिकी का उपयोग, जोखिम प्रबंधन, मानव से संबंधित योजनाओं को शामिल करना चाहिए। संसाधन, शाखा नेटवर्क, उपस्थिति के वैकल्पिक बिंदु, असंबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलना, प्राथमिकता क्षेत्र अनुपालन, पाँच वर्षों के लिए वित्तीय अनुमान इत्यादि।

[10] एनबीएफसी आवेदकों के मामले में, मौजूदा सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकता, अनुमानित सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकता और सीआरआर/ एसएलआर पर वैधानिक मानदंडों के अनुपालन की योजना के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

अनुबंध I

प्रमोटर समूह के मुख्य व्यक्तिगत प्रमोटर की ओर से स्व-घोषणा

आवेदक का नाम:

क्र	मद	टिप्पणी
1.	मुख्य व्यक्तिगत प्रमोटर का नाम (यदि है तो,पिछले नाम सहित)[11]	
2.	बायोडाटा का विवरण	फॉर्म I
3.	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग राशि और शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	
4.	मुख्य व्यक्तिगत प्रवर्तक का निवल मालियत (सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
5.	पिछले 5 वर्षों में औसत आय	
6.	बैंक में प्रस्तावित शेयरधारिता के लिए धन का स्रोत (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
7.	हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का नाम और बैंक में प्रस्तावित शेयरधारिता (रु. और % में) जिसमें मुख्य व्यक्तिगत प्रमोटर एक सदस्य/ कर्ता है।	
8.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें शेयर हिस्सेदारी के प्रतिशत के साथ-साथ एचयूएफ इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक है	फॉर्म II
1.	समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के रिश्तों के साथ रिश्तेदारों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और संबंधित नियमों और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म III
2.	समूह के व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार) के संदर्भ में विवरण और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म IV
3.	एसोसिएट एंटरप्राइजेज की सूची (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार) और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म V
4.	ऐसे संस्थाओं का विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर संस्थाओं की पूंजी का 10% या उससे अधिक होल्ड कर रहे हैं और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म VI
5.	उन संस्थाओं के विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें] और बैंक में उनके प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग/ वोटिंग अधिकार	फॉर्म VII
6.	उन संस्थाओं की सूची, जिनमें सामूहिक रूप से 1 से 7, 13 से ऊपर की इकाइयाँ, उस संस्था की इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या	फॉर्म VIII

[11]यदि समूह में एक से अधिक व्यक्तिगत प्रमोटर हैं, तो अलग-अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं

क्र	मद	टिप्पणी
	अधिक हिस्सा रखती हैं।	
7.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें 1, 7 से 14 से ऊपर के व्यक्तियों/ संस्थाओं ने व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा किया है।	फॉर्म IX
8.	उक्त 1 और 7 से 15 तक में नामित संस्थाओं की कुल प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग (रु. और %)	
9.	बैंक में प्रस्तावित कुल हिस्सेदारी के लिए ऊपर 1 और 7 से 15 में नामित संस्थाओं के लिए धन का स्रोत (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
10.	बैंक में एकल वोटिंग अधिकार होने के मामले में, शेयरधारक के साथ समझौते का विवरण संक्षेप में	
11.	यदि उपरोक्त 1 और 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था एक पेशेवर संघ/ निकाय का सदस्य है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित या शुरू किया गया हो या जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अतीत में दोषी पाया गया हो या किसी भी समय किसी भी पेशे/ व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है	
12.	क्या उपरोक्त 1 और 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी भी जाँच के अधीन है?	
13.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त 1 और 7 से 15 के बीच सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था के खिलाफ पूर्व में अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप दोषी पाया गया हो	
14.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, तो उपरोक्त 1 और 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति/ संस्था के खिलाफ पूर्व में दोषी ठहराए गए या लंबित या दोषी पाए गए।	
15.	क्या किसी व्यक्ति को किसी भी समय नियमों/ विनियमों/ कस्टम द्वारा विधायी आवश्यकताओं/ उत्पाद/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारी का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विशेष विवरण दें।	
16.	क्या उपरोक्त 1 और 7 से 15 से ऊपर के व्यक्ति/ संस्था किसी भी समय किसी कारण नियामक/ जांच एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में आए हैं, जिसमें शो कॉज नोटिस जारी करना शामिल है। (हालांकि किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नियामक द्वारा किए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करे, जो बाद में रिवर्स कर दिए गए हैं/ उसी तरह अलग रख दिया गया हो, हालांकि यदि रिवर्स मेरिट पर न होकर तकनीकी कारणों से है जैसे जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी या सिमितता तो उस स्थिति में उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से रहता है और अपीलीय/ अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	

क्र	मद	टिप्पणी
17.	क्या उपरोक्त 1और 7 से 15 में सूचीबद्ध व्यक्ति / संस्था को किसी भी कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो जनता के सदस्यों को बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है।	
18.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों में 1 और 7 से 15 ऊपर सूचीबद्ध व्यक्ति / संस्था के शेयर / वोटिंग अधिकार का विवरण	
19.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों के बोर्डों पर व्यक्तिगत प्रमोटर के प्रतिनिधित्व का विवरण	
20.	पिछले तीन वर्षों के लिए व्यक्तिगत प्रमोटर का आयकर रिटर्न (यदि पहले से आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है)	
21.	ऊपर 7 से 15 में सूचीबद्ध प्रमुख संस्थाओं की सूची (समूह की कुल संपत्ति या कुल राजस्व का कम से कम 50% कवर करता हो)	
22.	उपरोक्त 29 में सूचीबद्ध संस्थाओं की अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट को पिछले पांच वर्षों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यदि पहले से आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो इसे जारी किया जा सकता है)	
23.	कोई अन्य स्पष्टीकरण / जानकारी	

घोषणा

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास, सत्य और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं में से, जितना शीघ्र हो सके, बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

व्यक्तिगत प्रमोटर के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

दिनांक :

फॉर्म I

समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर का बायोडाटा विवरण

व्यक्ति का नाम (पिछले नाम सहित, यदि कोई हो)	
जन्म तिथि	
पिता का नाम	
पैन सं	
डीआईएन सं	
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
फेमा के अनुसार नागरिकता/ आवासीय स्थिति	
व्यवसाय	
आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति संबंधित है	
बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	
बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में अनुभव का विवरण	
अन्य क्षेत्रों में अनुभव का विवरण	

फॉर्म II

जिन संस्थाओं में एचयूएफ का होल्डिंग इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक है

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में शेयर धारिता का %, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	**31** मार्च **----** के अनुसार		**31** मार्च **----** के अनुसार	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ में रुपये)	रुपए में	**%** में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म III

समूह के प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के रिश्तेदारों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और संबंधित नियमों का संदर्भ लें)

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम *	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध	जन्म तिथि	फेमा के अनुसार आवासीय स्थिति	पिता का नाम	पैन सं .	डीआईएन सं .	आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति संबंधित है	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
									रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म IV

समूह के व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार) के संदर्भ में विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम *	जन्म तिथि	प्रमुख व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध	फेमा के अनुसार आवासीय स्थिति	पिता का नाम	पैन सं .	डीआईएन सं .	आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति संबंधित है	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
									रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म V

व्यक्तिगत प्रमोटर के एसोसिएट एंटरप्राइजेज (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार) का विवरण

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में शेयर धारिता का प्रतिशत, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	**% में**

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VI

ऐसे संस्थाओं का विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर संस्थाओं की पूंजी का 10% या उससे अधिक होल्ड कर रहे हैं

संस्था का नाम *	संबंधित कंपनी में व्यक्तिगत प्रमोटर द्वारा शेयरहोल्डिंग का %	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VII

उन संस्थाओं के विवरण जिसमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, शेयरहोल्डिंग का **%**, यदि कोई हो	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म VIII

उन संस्थाओं का विवरण जिनमें समग्र शेयरहोल्डिंग 10% या उससे अधिक है (व्यक्तिगत प्रमोटर, एचयूएफ, संस्थाओं द्वारा जिनमें एचयूएफ 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग कर रहा है, रिश्तेदार, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति, एसोसिएट एंटरप्राइजेज, संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 10% या उससे अधिक है और संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित निहित है के द्वारा)

संस्था का नाम *	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, वर्तमान शेयरहोल्डिंग के ब्रेकप के साथ	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

फॉर्म IX

ऐसे संस्थाओं का विवरण जिसमें; व्यक्तिगत प्रमोटर, एचयूएफ, ऐसी संस्थाएं जिनमें एचयूएफ का 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग है, रिश्तेदार, कंसर्ट में काम करने वाले व्यक्ति, एसोसिएट एंटरप्राइजेज, संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर के पास 10% या उससे अधिक शेयरहोल्डिंग है और संस्थाएं जिनमें व्यक्तिगत प्रमोटर का हित निहित है; पिछले 5 वर्षों में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी शेयरहोल्डिंग को निर्निहित किया है

संस्था का नाम*	व्यक्तिगत प्रमोटर के साथ संबंध, साथ में उनके पिछले तथा वर्तमान शेयरहोल्डिंग का %	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

परिशिष्ट II

प्रमोटर समूह के अन्य संस्थाओं का विवरण

संस्था का नाम *	संबंधित कंपनी में व्यक्तिगत प्रमोटर द्वारा शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
												कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व (करोड़ रुपए में)	रुपए में	% में

*(यदि है तो, पिछले नाम सहित)

परिशिष्ट III

प्रमोट करने वाले /परिवर्तित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

क्रम सं	मद	**टिप्पणी**
1.	संस्था का नाम (यदि है तो, पुराने नाम सहित)	
2.	स्था का विवरण	फॉर्म X
3.	संस्था का शेयरहोल्डिंग पैटर्न	
4.	बैंक में संस्था की प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग और मताधिकार	
5.	संस्था का नेटवर्थ (सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
6.	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग के लिए धन का स्रोत (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
7.	बैंक में प्रस्तावित समग्र शेयरहोल्डिंग (राशि और %) - प्रमोटर समूह, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार), एसोसिएट एंटरप्राइजेज (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार), और उन संस्थाओं द्वारा, जिनमें प्रमोटर समूह का हित निहित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]	फार्म XI
8.	बैंक में कुल शेयरहोल्डिंग के लिए धन का स्रोत जैसा कि ऊपर 7 में दर्शाया गया है (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
9.	I यदि संस्था एक व्यावसायिक संघ/ किसी निकाय का सदस्य है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या इसके खिलाफ अतीत में मिली सजा, क्या जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया गया है।	
10.	क्या संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी के आदेश पर किसी जांच के अधीन है?	
11.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए संस्था के खिलाफ अतीत में दोषसिद्धि हुई	
12.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप संस्था के खिलाफ अतीत में दोषसिद्धि हुई	
13.	क्या किसी भी समय संस्था को सीमा शुल्क/ उत्पाद/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/ विनियमों/ विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विवरण दें।	

क्रम सं	मद	**टिप्पणी**
14.	क्या किसी भी समय संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित किसी नियामक/ जांच एजेंसी की प्रतिकूल सूचना आई है। (यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करे, जिसे बाद में पूर्ण रूप से हटा दिया गया हो, यदि इस प्रकार हटाना तकनीकी कारणों जैसे सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि के कारण है, और योग्यता के आधार पर नहीं। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है और अपीलीय/ न्यायालय कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए ।	
15.	क्या संस्था को बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है ।	
16.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों में संस्था के शेयरहोल्डिंग/ मताधिकार का विवरण	
17.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों के बोर्डों में संस्था के प्रतिनिधित्व का विवरण	
18.	पिछले तीन वर्षों के लिए संस्था का आयकर रिटर्न	
19.	पिछले 3 वर्षों के लिए संस्था की लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट	
20.	कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना	

घोषणा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद ऊपर दी गई जानकारी री के लिए प्रासंगिक होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र सूचित करूंगा/ करूंगी।

प्रमोट करने वाले/ परिवर्तित संस्था के हस्ताक्षर और मोहर

स्थान :

दिनांक :

फॉर्म X

प्रमोट करने वाले/ परिवर्तित संस्था का विवरण

संस्था का नाम*	प्रमोट करने वाले /परिवर्तित संस्था में विदेशी शेयरहोल्डिंग	संस्था के प्रमुख प्रमोटर, शेयरहोल्डिंग के% के साथ	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं .	टैन सं	सीआईएन सं .	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	नियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार			
													कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व (करोड़ रुपए में	कुल नेटवर्थ (करोड़ रुपए में)	प्रदत्त पूंजी

* (यदि है तो, पिछला नाम दर्शाए)

फॉर्म XI

बैंक में प्रस्तावित समग्र शेयरहोल्डिंग (राशि और %) - प्रमोटर समूह, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1(क) में में परिभाषित अनुसार), एसोसिएट एंटरप्राइजेज (जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1(क) में परिभाषित अनुसार), और उन संस्थाओं द्वारा, जिनमें प्रमोटर समूह का हित निहित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]

व्यक्ति/संस्था का नाम*	प्रमुख शेयरधारक के साथ संबंध, शेयरहोल्डिंग % के साथ, यदि कोई हो	जन्म तिथि/ निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	डीआईएन सं	टैन सं	सीआईएन सं	आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति/संस्था का संबंध है	विनियामक का नाम	यदि संस्था को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च --- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
													कुल आस्ति (करोड़ में)	कुल नेटवर्थ (करोड़ में रुपए)	प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग रुपये में	प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग % में

* (यदि है तो, पिछला नाम दर्शाए)